

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 299 / 2010 / जयपुर

मैसर्स शिव वनस्पति प्रा० लिमिटेड,  
चांदपोल बाजार, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

### बनाम

1. उपायुक्त (अपीलरा), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन—प्रथम, मुख्यालय, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी।

### खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष  
श्री भनोहर पुरी, सादस्य

### उपस्थित :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. वैद,


उप—राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 18 / 11 / 2014**

### निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपीलरा), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 84 संपर्कित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 100 के त्राहत पुरितु किये गये आदेश दिनांक 11.01.2010 के विरुद्ध अधिनियम की धारा 85 के त्राहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी का वर्ष 1991-92 का केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम के अधीन कर निर्धारण आदेश नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 6.3.95 को पारित किया गया। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन—प्रथम, वृत—प्रथम, मुख्यालय जयपुर के द्वारा दिनांक 02.04.1992 को करापवंचन के रांदेह में सर्वेक्षण किया गया, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में अन्तर्राजीय व्यापार के क्रम में खाद्य तेल की बिक्री घोषित की है, उसमें तीन क्रेताओं मैसर्स श्री जी एन्टरप्राइजेज, बॉम्बे, मैसर्स अमित कुमार भगवान दास, अहमदाबाद एवं मैसर्स हिना एन्टरप्राइजेज, बॉम्बे को जो बिक्री घोषित की है तथा उस बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(5) में जारी राज्य सरकार की अधिसूचना एफ.4(90)एफडी ग्रुप IV / 82.101 दिनांक 17.4.1990 प्रकाशित 18.4.1990 के अनुसार 1.5 प्रतिशत की रियायत का लाभ लेकर बिक्री की गई है। उक्त फर्मों की बिक्री के सम्बन्ध में बम्बई एवं अहमदाबाद से जांच कराने पर निम्न तथ्य पाये गये :—

 लगातार ..... 2

 लगातार ..... 2

 लगातार ..... 2

 लगातार ..... 2

 लगातार ..... 2

 लगातार ..... 2

 लगातार ..... 2

- (1) मैसर्स श्री जी एन्टरप्राइज बम्बई, अरिहन्त विहार, आनन्द नगर  
नि. थाना (महाराष्ट्र)

यह फर्म पंजीकृत नहीं है एवं व्यवहारी द्वारा जिस अवधि में बिक्री दिखाई गई है उस अवधि में फर्म का अस्तित्व ही नहीं था। यह तथ्य उपायुक्त, बिक्री कर थाना के पत्र क्रमांक डीसी/थाना/मिस/'सी' फार्म/बी/70 दिनांक 15.02.93 से स्पष्ट है। अर्थात् उक्त फर्म को व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधि में रूपये 15,82,218/- की जो बिक्री 'सी' फार्म पर दिखाई है वह बोगस एवं अपंजीकृत फर्म को वास्तविक रूप रो की गई है।

- (2) मैसर्स हिना एन्टरप्राइजेज बम्बई -

- (1) इस फर्म का आर.सी. दिनांक 01.12.1991 से निरस्त किया जा चुका है।

- (2) उक्त फर्म का व्यवसाय तेल का नहीं है बल्कि चाय, कोको आदि वस्तुओं का है।

- (3) 'सी' फार्म जाकर 4/14 056640 से 056650 एवं 056657 से 056658 जो फर्म द्वारा उक्त फर्म से प्राप्त करना बताया है (कार्यालय में पेश जाहीं) परन्तु उक्त क्रमांक के 'सी' फार्म विक्री कर विभाग, बम्बई से उक्त फर्म को जारी नहीं किये गये हैं। यह तथ्य S.T.O. Enforcement branch Bombay के पत्र क्रमांक एसटीओ / 72 / एनफोर्समेंट / 86 / बी-1438 दिनांक 24.02.92 में अंकित है। इस प्रकार रूपये 47,61,642/- की तेल की इस फर्म को दिखाई गई विक्री बोगस पाई गई।

- (3) मैसर्स अमित कुमार भगवान दास शाह एण्ड कम्पनी अहमदाबाद

उपरोक्त फर्म को जिस अवधि में बिक्री दिखाई गई है उस अवधि की जाँच पर पाया गया कि व्यवहारी फर्म द्वारा आलोच्य अवधि में दिखाई गई बिक्री बोगस है क्योंकि उक्त फर्म द्वारा व्यवहारी से कोई खरीद होना नहीं पाया गया। इस प्रकार फर्म द्वारा मैसरी अमित कुमार भगवान दास, अहमदाबाद से रूपये 24,36,681/- की जो बिक्री दिखाई गई है वह बोगस है।

3. उपरोक्त तीनों क्रेताओं को घोषित बैचा गया माल खाद्य तेल पर अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये विक्रय को बोगस पाये जाने के कारण केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन कर दर 1.5 प्रतिशत लागू नहीं होने के कारण 10 प्रतिशत की दर से कर निर्धारण किया जाकर कर, व्याज व शारित आरोपित की गई।


4. उभयपक्ष की बहुसंख्यी गयी।

 लगातार..... 3

卷之三

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4000 or via email at [mhwang@uiowa.edu](mailto:mhwang@uiowa.edu).

5. बहस के दौरान पिट्ठान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अपील आधारों को निर्णीत नहीं किया है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, मुख्यालय, जयपुर ने दिनांक 02.04.1992 को अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया तथा करापवंचन के संदेह में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 10 सपष्टित धारा 9 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिये दिनांक 07.11.1992 को नोटिस जारी किया। इस नोटिस की पालना में अपीलार्थी सम्बन्धित सहायक आयुक्त के समक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थित हुआ व स्थिति को स्पष्ट किया। इसके उपरान्त सहायक आयुक्त ने पुनः दिनांक 15.12.1992 को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 10 सपष्टित धारा 9 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन नोटिस जारी किया। इस नोटिस की पालना में अपीलार्थी ने सम्बन्धित सहायक आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर उत्तर दिया, सारी स्थिति स्पष्ट की तथा नोटिस में आक्षेपित बिन्दुओं का खण्डन किया तथा स्पष्ट किया कि उनके द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में सम्बन्धित क्रेताओं को सदमावी विक्रय किया गया है। इस अन्तर्राज्यीय विक्रय के सम्बन्ध में उन ट्रांसपोर्टर्स, जिनके नाम अपीलार्थी के नाम दिये गये थे, से जांच की मांग की, जिनके बाहनों के द्वारा खाद्य तेल सम्बन्धित क्रेताओं के गन्तव्य स्थलों को परिवहनित किया गया था। नोटिस में आक्षेपित किया गया था कि सम्बन्धित क्रेता व्यवहारी Genuine (यथार्थ/असली) नहीं हैं। इस आक्षेप के क्रम में सम्बन्धित अधिकारियों को रपष्ट किया कि यदि क्रेता Genuine नहीं होते तो ट्रांसपोर्टर उनके स्थान पर किस प्रकार माल की डिलीवरी देते तथा किस प्रकार डिमाण्ड ड्राफ्ट से भुगतान अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा प्राप्त किया गया; इस सम्बन्ध में उचित जांच की मांग की तथा सुनवाई के अवसर की मांग की। अपीलार्थी को प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किया जाये तथा इसके पश्चात कर निर्धारण आदेश पारित किया जावे। इसमें विशेष उल्लेखनीय है कि नोटिस का उत्तर दिनांक 04.05.1993 को देने के पश्चात सम्बन्धित सहायक आयुक्त की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसी समयावधि में उनका वर निर्धारण कालातीत हो गया तथा नियमित कर निर्धारण अधिकारी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ई, जयपुर ने कर निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 10 सपष्टित धारा 9 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन नोटिस जारी किया तथा अपीलार्थी नोटिस की पालना में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ई, जयपुर के समक्ष उपस्थित हुआ तथा लेखा-पुस्तके व सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया, जिसका परीक्षण उनके द्वारा


 लगातार.....4

जयपुर जिले के नियमित सम्बन्धित अधिकारी की वार्ता का अनुसार इसका विवरण निम्नांक है।

इसका विवरण निम्नांक है। इसका विवरण निम्नांक है।

किया गया तथा दिनांक 9.3.95 को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 व केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अधीन उक्त कर निर्धारण वर्ष के लिये कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। यदि कोई करापवंचन का बिन्दु निहित होता तो प्रतिकरापवंचन के वाणिज्यिक कर अधिकारी के द्वारा पत्रावली नियमित कर निर्धारण अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ई, जयपुर से मंगवाई जानी चाहिये थी, परन्तु सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन की ओर से दिनांक 04.05.1993 के पश्चात कुछ भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार नियमित कर निर्धारण अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ई, जयपुर के द्वारा दिनांक 06.03.95 को पारित कर निर्धारण आदेश सही प्रकार से पारित किया गया है व उचित पारित किया गया है।

6. इसके पश्चात सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन की ओर से जारी नोटिस दिनांक 26.9.95 का प्राप्त हुआ, जिसका विस्तृत उत्तर अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 5.11.95 को दिया गया तथा जिसमें पुनः लगभग साढ़े तीन वर्ष बाद इस बात को दोहराया गया कि अपीलार्थी के द्वारा Genuine (यथार्थ/असली) क्रेता व्यवहारियों को बिक्री की गई है। इस सम्बन्ध में यदि कोई जांच की गई हो तो उससे अवगत कराया जाये तो उसका प्रतिकार (confront) कराये जाने का अवसर प्रदान किया जाये। यह भी उल्लेख किया गया कि नियमित वर निर्धारण अधिकारी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ई, जयपुर के द्वारा उनका कर निर्धारण सम्मूरित किया जा चुका है।

7. इस उत्तर को प्रस्तुत करने के उपरान्त भी सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन के द्वारा पुनः नोटिस राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 10 के तहत दिनांक 03.11.1995 के द्वारा जारी किया गया। इसके पश्चात दिनांक 14.12.1995 को दूसरा नोटिस जारी किया गया, जो राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 12 सप्तित धारा 9 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन था, जिसका उत्तर अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 16.01.1996 को दे दिया गया तथा इस तथ्य को उत्तर में दोहराया गया कि अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 4.5.93 व 5.11.95 को आवश्यक उत्तर दिये जा चुके हैं तथा अपीलार्थी के द्वारा अन्तर्राजीय व्यापार के क्रम में जिन क्रेता व्यवहारियों को बिक्री की गई है, वे यथार्थ में विद्यमान हैं तथा यदि उन क्रेता व्यवहारियों का पंजीकरण पश्चातवर्ती समय में निरस्त किये जा चुके हैं तो अपीलार्थी को इस तथ्य को जानकारी नहीं है। नोटिस में क्रेता व्यवहारियों के बोगस होने के आक्षेप को नकारा गया।

 लगातार.....5

दिनांक 14.12.1995 को दूसरा नोटिस  
के अधीन वाणिज्यिक कर अधिकारी, उत्तर अपीलार्थी के द्वारा दिया गया उत्तर में इस व्यवहार के उत्तरान्तर में दोहराया गया।  
दिनांक 16.01.1996 को दूसरा नोटिस  
के अधीन वाणिज्यिक कर अधिकारी, उत्तर अपीलार्थी के द्वारा दिया गया उत्तर में इस व्यवहार के उत्तरान्तर में दोहराया गया।

8. अग्रिम कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैरसर्स श्याम ऑयल केक प्राठ लिंग बनाम राजस्थान राज्य 1 एसटीओ. 59 निर्णय दिनांक 18.2.1993 के क्रम में अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में 'सी' फॉर्म प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी तथा नियमित कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा दिनांक 06.93.1995 को किया गया कर निर्धारण सही है। नियमित कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा कर निर्धारण सम्पूरित कर दिये जाने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के श्याम ऑयल केक के निर्णय के क्रम में यह प्रतिकरापवंचन का कोई बिन्दु नहीं है, जो कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 12 में शुगार करने योग्य हो। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होने के पश्चात दिनांक 22.02.1996 को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 12 सप्तित धारा 9 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम व धारा 16(1)(ई) व धारा 11 बी के अधीन नोटिस जारी किया जाकर आक्षेपित किया गया कि तीन क्रेता व्यवहारियों मैसर्स श्री एन्टरप्राईजेज, बॉम्बे; मैसर्स अमित कुमार भगवान दास, अहमदाबाद एवं मैसर्स हिना एन्टरप्राईजेज, बॉम्बे Genuine पार्टीज नहीं हैं। उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अपीलार्थी द्वारा विस्तृत उत्तर दिनांक 06.06.1996 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक डायरेक्टर का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया तथा उरामें उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी के द्वारा नियमित व्यापार के क्रम में उपरोक्त तीनों क्रेता व्यवहारियों को खाद्य तेल की बिक्री की गई है तथा यह बिक्री उनके साथ हुई समझौते के क्रम में की गई है तथा यह समझौता तीन दलालों के मार्फत किया गया है, जिनके नाम क्रमशः मैसर्स वी.के.ब्रोकर्स, अनाज मण्डी, चांदपोल, जयपुर; मैसर्स वी.के.शर्मा एण्ड कम्पनी, अनाज मण्डी, चांदपोल बाजार, जयपुर; मैसर्स श्री गणेश ट्रेडिंग कम्पनी, धान मण्डी, उदयपुर; मैसर्स कृष्ण ऑयल ट्रेडर्स, चांदपोल बाजार, जयपुर एवं मैसर्स गोविन्द ट्रेडिंग एजेन्सी, चांदपोल गेट के बाहर, जयपुर है।

9. आगे कथन किया कि अपीलार्थी के उत्तर व शपथपत्रों पर विचार नहीं करते हुए तथा कोई जांच नहीं करते हुए सम्बन्धित सहायक आयुक्त के द्वारा मनमाने तरीके से दिनांक 31.7.96 को आदेश पारित करते हुए अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में की गई खाद्य तेल की बिक्री रूपये 86,23,802/- पर अतिरिक्त कर रूपये 7,32,938/- तथा दूसरे अन्तर्राज्यीय बिक्री राशि रूपये 1,02,14,392/- पर कर राशि रूपये 8,68,223/- आरोपित किया गया। इस कर पर धारा 11बी(एफ) के तहत आज रूपये 18,17,207/- तथा धारा 16(1)(ई) के तहत शास्ति रूपये 14,65,876/- आरोपित की गई।


लगातार.....6

10. उक्त सन्दर्भित पैरा 10 में उल्लेखित आदेश दिनांक 31.7.96 से व्यक्ति होकर अपीलार्थी के द्वारा एक अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर के द्वारा आदेश दिनांक 11.01.2010 द्वारा अपीलार्थी के समर्त उत्तरों पर गौर नहीं करते हुए तथा अविधिक क्षेत्राधिकार प्राप्त करते हुए पारित किये गये कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की गई।

11. अपीलार्थी ने उपायुक्त (अपील्स) के समक्ष क्षेत्राधिकार के प्रश्न को उठाया जो, प्रकरण के Root तक जाता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन व उपायुक्त (अपील्स) के आदेश त्रुटिपूर्ण एवं अविधिक हैं।

12. उपायुक्त (अपील्स) के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति का निस्तारण नहीं किया गया, जिसमें सहायक आयुक्त के क्षेत्राधिकार को अविधिक बताया गया था। अपीलार्थी का प्रकरण Escaped कर निर्धारण का नहीं था, जिसको कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 12 की परिधि में शुमार किया जा सके। सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन को अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 4.5.93 को उत्तर प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात यह मानने का आधार था कि उसके द्वारा उत्तर को खीकार कर लिया गया है तथा उन्होंने नियमित कर निर्धारण अधिकारी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ई, जयपुर से पत्रावली अभिलेख नहीं मंगाया। अपीलार्थी के द्वारा यह कथन किया गया कि नियमित कर निर्धारण अधिकारी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ई, जयपुर के द्वारा पारित किये गये कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 15ए के अधीन निगरानी किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जिस पर आयुक्त इस बात के लिये अधिकृत थे तथा वो अभिलेख को मंगाकर उसका परीक्षण कर सकते थे तथा परीक्षण पश्चात वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से राज्य के राजरव हित के विरुद्ध होने की स्थिति में निगरानी का आदेश प्रदान कर सकते थे। यह प्रकरण निश्चित रूप से Escaped कर निर्धारण का नहीं हो सकता है। इसके समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त (1969) 24 एस.टी.सी. 491 (एस.सी.) डिप्टी कमिश्नर एग्रीकल्चर, इन्कम टैक्स व सेल्स टैक्स बनाम मैसर्स धनलक्ष्मी विलास केशू कम्पनी, जिसमें यह निर्णीत किया गया है कि –

“the revisional jurisdiction under section 15(1)(i) of the Kerala General Sales Tax Act is quite different and separate from the one created under rule 33 relating to tax escaped turn over and that rule

 लगातार.....7

जी.एस. रामचंद्रन की निवार कर अद्युक्त एवं विवरणीय दस्तावेज़ द्वारा दिया गया है।

11. अपील के द्वारा आदेश कर अधिकारी द्वारा पारित आदेश

हित के विरुद्ध होने का विवरण निर्धारण में निगरानी

के विवरण निर्धारण में निगरानी के विवरण द्वारा दिया गया है।

3 which confers power to assess escaped turn over is normally to be exercised in matters de hors the record of assessment proceedings and that the revisional jurisdiction under section 15(1)(i) would be restricted to the examination of the record for determining whether the order of assessment was according to law".

13. इसी क्रम में न्यायिक दृष्टान्त (1989) 75 एस.टी.सी. 82 स्टेट ऑफ अंड्रेडेश बनाम रत्ना श्री बॉक्स मेकर्स में निर्णीत किया है कि –

"while the power of revision could be exercised by looking into the assessment record only, the power of reopening an assessment had to be exercised only on the basis of material de hors the record. If the power of reopening an assessment could be exercised even in regard to turn over which was already considered at the time of assessment, then there would not be any conceivable cases for revision.

The mere fact that deduction or exemption was wrongly allowed does not give power to reopen the assessment under section 14(4), in the absence of material de hors the assessment record disclosing escaped turn over. Where a perusal of the assessment record itself shows a deduction or exemption wrongly granted it is for the revisional authority to correct it by exercising power under section 20 of the Act.

14. इसी क्रम में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त 12 एस.टी.ए. 128 का उल्लेख किया गया, जिसमें निर्णीत किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी को Re-assess करने तथा Revise करने की दो पृथक शक्तियां प्राप्त हैं, जिससे परिवर्तित अधिकारी के द्वारा पारित किये गये आदेश को राय परिवर्तन के आधार पर खोला नहीं जा सकता है।

15. माननीय बौद्ध उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1978) 41 एस.टी.री. 89 बाबूलाल एण्ड सन्स बनाम राहायक आयुक्त में निर्णीत किया गया है कि –

"the jurisdiction in revision is corrective one and in that it can reach to the errors of law or errors of procedure which are apparent on the face of the record".

16. माननीय केरला उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1979) 44 एस.टी.सी. 208 मद्रास रबर फैब्री लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ केरला में निर्णीत किया गया है कि –

"the power of assessing escaped turn over under section 19 of the Kerala General Sales Tax Act, 1963 and the power of revision under section 35 are two distinct and separate powers. They have been conferred on two different authorities - the power of revision being

लगातार..... 8

The jurisdiction in revision is corrective one  
to correct the errors of law or errors of procedure  
which are apparent on the face of the record.

माननीय केरला उच्च न्यायालय में निर्णीत किया गया है कि –

onferred on a superior authority. A valid exercise of the revisional power is not an infringement of power of assessing escaped turn over. There is no bar or inhibition against getting an escaped turn over in exercise of revisional power under section 35 so long as the grounds for exercise of that power are made out viz. the order is vitiates by illegality, irregularity or impropriety".

17. इसी क्रम में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 81 एस.टी.सी. 250 तथा माननीय आंश्वप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1985 यू.पी.टी.सी. 112 का हवाला दिया गया।
18. यह प्रकरण राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 12 की परिधि में Escaped Assessment का प्रकरण हो नहीं हो सकता है, क्योंकि नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 10 के अधीन दिनांक 6.3.95 को कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया था, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स श्याम ऑयल के प्राप्ति लिंग [1 एस.टी.ओ. 59] में दिया गया निर्णय बाध्यकारी था, जिसमें घोषणा-पत्र 'सी' प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होने का निर्णय दिया गया था। इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की समस्त अपील की जाने पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम सर्वोत्तम वेजिटेबल प्रोडक्ट के प्रकरण में दिनांक 9.4.96 (1996) 101 एस.टी.सी. 547 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को अपारत किया गया है तथा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है कि न्यायिक दृष्टान्त (1994) 94 एस.टी.सी. 410 आंश्वप्रदेश राज्य बनाम हैदराबाद एस्बेस्टोज सीमेन्ट प्रोडक्शन लिमिटेड का अनुसरण किया जावे।
19. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपारत कर दिये जाने के पश्चात राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 17 के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिए थी, न कि धारा 12 के अन्तर्गत।
20. आगे कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा मनमाने तरीके से कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के विरुद्ध कोई साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, सिवाय इसके कि एक पत्र बम्बई बिक्री कर अधिकारियों के द्वारा जो कि प्रतिकरापवंचत अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा और कोई सारकान प्रमाण, जिससे कि अपीलार्थी के संव्यवहारों को बोगस करार दिया जा सके उपलब्ध नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त 42 एस.टी.सी. 48 में "Strong suspicion, strange co-incidences and grave doubts cannot take the legal proof." अपीलार्थी के विरुद्ध आक्षेप स्थापित करने के लिये

 लगातार.....9

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपारत कर अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अपील का अनुसरण आदेश पारित किया गया है।


आवश्यक था कि कर निर्धारण अधिकारी संव्यवहार को बोगस या फर्जी प्रमाणित करते या 'सी' फॉर्म को बोगस प्रमाणित करते। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड का न्यायिक दृष्टान्त 6 टैक्स अपडेट 241 प्रस्तुत किया, जिसमें निर्णीत किया गया है कि साक्ष्य के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी के पक्ष में यह उचित नहीं है कि कि अनुमान के आधार पर कोई करारोपण की कार्यवाही की जावे।

21. अपीलार्थी द्वारा जहां तक मैसर्स हिना एन्टरप्राईजेज, बम्बई को अन्तर्राजीय व्यापार के क्रम में किये गये विक्रय का प्रश्न है, यह क्रेता पार्टी के पास वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 207859 दिनांक 12.6.1990 का वैध प्रमाण-पत्र था। क्रेता व्यवहारियों को दिल्ली के मार्फत किये गये रामझौतों के आधार पर माल खाद्य तेल प्रेषित किया गया था तथा माल की बिक्री का भुगतान एकाउण्ट पैयी चैक/ड्राफ्ट 01.12.1991 से पूर्व प्राप्त किया था। 01.12.1991 की तारीख को इस क्रेता व्यवहारी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किये जाने का उल्लेख है। निम्नतर दोनों प्राधिकारियों के द्वारा यह मत लिया जाना कि क्रेता व्यवहारी मैसर्स हिना एन्टरप्राईजेज द्वारा अपीलार्थी से रूपये 47,61,642/- का खाद्य तेल नहीं खरीदा गया है, गलत है। उक्त क्रेता व्यवहारी को समर्त विक्रिया दिनांक 01.12.1991 से पूर्व की गई थी। इसलिए यह मत लिया जाना अतार्किक है कि उक्त क्रेता व्यवहारी विद्यमान नहीं था तथा उनके द्वारा जारी किये गये 'सी' फॉर्म Genuine नहीं हैं, यह उचित नहीं है।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश ट्रेडिंग कम्पनी (1998) 109 एस.टी.सी. 439 में निर्णीत किया है कि –

"whatever might be the effect of a retrospective cancellation of registration certificate it would not affect upon any person who has acted upon the strength of the registration certificate when the registration certificate was current and it was not the duty of the person dealing with registered dealer to find out whether a state of facts existed which would justify the cancellation of their registration".

23. अपीलार्थी के द्वारा मैसर्स अमित कुमार भगवान दास अहमदाबाद वो अन्तर्राजीय व्यापार के क्रम में की गई बिक्री राशि रूपये 24,34,681/- का प्रश्न है, दोनों निम्नतर प्राधिकारियों ने बिक्री को बिना कोई जांच किये हुए अस्वीकृत किया है।

 लगातार.....10

24. अपीलार्थी के द्वारा मैसर्स श्री एन्टरप्राईजेज को अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये विक्रय राशि रूपये 15,82,218/- का प्रश्न है, यह खाद्य तेल का विक्रय दलाल मैसर्स वी. के. शर्मा एण्ड कम्पनी तथा मैसर्स वी. के. ब्रोकर के मार्फत किया गया था, जिस सम्बन्ध में उन्होंने कथन किया कि अधिकृत ट्रांसपोर्टर के द्वारा माल खाद्य तेल व सरसों प्रेषित की गई थी तथा उनके द्वारा दिये गये घोषणा-पत्र 'सी' Genuine हैं। इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय है कि सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन के द्वारा इन तीनों क्रेता व्यवहारियों के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2 टैवरा अपडेट 274 वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन जोधपुर बनाम चौपड़ा कैमिकल का निर्णय दिया गया है।

25. इसी क्रम में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2001) 123 एस.टी.सी. 108 अफा—गेवर्ट इण्डिया लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्णीत किया गया है कि –

"Held that there was no material to show that a notification has been published in the Gazette of Andhra Pradesh making it known to the public that the certificate of registration of the registered dealers whose C forms had been utilised by the purchasing dealers, had been cancelled and also that the said registered dealers surrendered the unused C forms to the concerned authority. There was also no material pointing out that such cancellation of registration certificates of those dealers had been duly intimated to the State Government of Tamil Nadu for due publication in its official gazette. In such state of affairs there was no possibility for the dealer to have knowledge of the cancellation of the registration certificate of those dealers whose C forms had been misused by their purchasing dealers at Andhra Pradesh. Such being the case, the dealers could not be deprived of the benefit of concessional rate of tax"

26. न्यायिक दृष्टान्त यूनाईटेड रसील एण्ड एलाईड इण्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश (1988) 70 एस.टी.री. 114 में निम्न निर्णय दिया गया है :—

"it has been held that there is no mention in the notice that the purchasing dealers having failed to surrender the unused C forms consequent upon cancellation of their certificate of registration as required under rule 4-A(4) of Central Sales (Bombay) Rules, 1957 the authorities concerned had taken action in terms of proviso to rule 4-A(4) to have such forms declared invalid by notification in the official gazette nor was there any reference to copy of such

लगातार..... 11

notification having been referred to the State Government. The purchasing dealers continue to be in possession of C forms without compliance with the provisions of proviso to rule 4-A(4) and in such circumstances the petitioner effecting sales to such purchasing dealers was entitled to proceed on the basis that their certificate of registration were effective and valid and there was no reason for the petitioner to doubt the veracity of any forms or enter into any detailed investigation in the matter and therefore, held that the petitioner had bona fide collected the C forms and claiming concessional levy of tax on that basis have discharged the initial onus that lay on it to show that the inter state sales were covered by C forms. The assessing authority was bound to admit the claim, the assessments were therefore, quashed being justified and illegal.

27. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, लेकिन इसके न्यायिक दृष्टान्त का उल्लेख नहीं दिया गया है, जिसमें निर्णीत किया गया है कि –

"Held although the purchasing dealers may have wrongly issued the declarations even after their registration was cancelled, as far as the selling dealer is concerned, if he obtains a declaration certificate and it is not known to him that the registration certificate of the purchaser had been cancelled and that cancellation is not notified in the official gazette then the selling dealer is entitled to the benefit under the Act. The respondent in the present case had bona fide obtained valid declaration certificates at the time of making the sales. The tribunal was, therefore, right in coming to the conclusion that the benefit claimed by the dealer could not be denied to him"

28. उपायुक्त (अपील्स) ने रुपये 14,65,870/- की शास्ति की पुष्टि की है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 148 एस.टी.सी. 14 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजसमन्वय बनाम व्हाईट मार्बल हाऊरा प्रस्तुत किया है, जिसमें निर्णीत किया है कि –

"the assessing authority had not made any effort to establish the collusion of the selling dealer in production of false or fake C forms before him. In absence of any enquiry having been held the two appellate authorities were justified in setting aside the penalties under the Rajasthan Sales Tax Act upon the selling dealer. This being essentially a finding of fact as to whether or not the selling dealer was responsible in production of such fake or bogus C form no question of law arises in the matter and thus, upheld the view of the lower authorities that the question of imposition of penalty was not justified."

लगातार.....12

*[Signature]*

The assessing authority had not made any effort to establish the collusion of the selling dealer in production of false or fake C forms before him.

29. शास्ति के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 25 एस.टी.सी. 211 मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य प्रस्तुत किया है, जिसमें शास्ति आरोपण महज इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि शास्ति के आरोपण का प्रावधान अधिनियम में विद्यमान है।

30. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (1990) 45 एस.टी.सी. 197 मैसर्स सीमेन्ट भार्कटिंग कम्पनी ऑफ इण्डिया बनाम सहायक आयुक्त सेल्स टैक्स प्रस्तुत किया है, जिसमें निर्णीत किया है कि –

“the belief entertained by the assessee that it was not liable to include the amount of freight in the taxable turn over could not be said to be malafide or unreasonable but it was a bona fide belief and therefore, the penalty could not be imposed on the assessee under section 43 of the Madhya Pradesh Act and section 9(2) of the Central Act”.

31. शास्ति के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 25 एस.टी.सी. 238 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम कुमावत उद्योग लिमिटेड में यह व्यवस्था दी है कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 16(1)(ई) में शास्ति तभी आरोपणीय है, जब व्यवहारी के द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में किसी तथ्य को छिपाया गया हो या जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हों। हस्तगत प्रकरण में कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

32. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1989) 74 एस.टी.सी. 288 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सोजत लाईम कम्पनी में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (1970) 76 आई.टी.आर. 696 का अवलम्बन लिया गया है, जिसमें यह निर्णीत किया गया है कि –

“mere rejection of the explanation of the assessee false does not automatically attract penalty in such a situation and before the penalty can be imposed it must be held that the assessee had consciously concealed the particulars or had deliberately furnished inaccurate particulars”.

33. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त लॉर्ड वेंकटेश्वर केटरस बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन 19 टैक्स अपडेट 85 में दोषी भनोभाव के अभाव में शास्ति आरोपणीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2003) 23 वी.एस.टी. 249 मैसर्स श्री कृष्ण इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु में निर्णीत किया गया है कि –

लगातार.....13

"so far as question of penalty is concerned the items which are not included in the turn over were found incorporated in appellant's account books. Where certain items which are not included in the turn over are disclosed in the dealer's own accounts books and the assessing authorities include these items in dealers turn over disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside".

34. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 28 एस.टी.सी. 700 स्टेट ऑफ मद्रास बनाम एस.जी.जयराज नादर एण्ड सन्स का हवाला दिया, जिसमें निर्णीत किया है कि –

"where certain items which are not included in the turn over are discovered from the dealer's own accounts books and the assessing authority includes these items in the dealer's turn over the assessment cannot be regarded as a best judgment assessment and penalty cannot be levied in respect of such items".

35. उपायुक्त (अपील्स) के द्वारा आरोपित ब्याज राशि रूपये 18,17,207/- की पुष्टि की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय जे. के.सिन्थेटिक्स 94 एस.टी.सी. 422 से निर्णीत किया गया है कि –

"It is further submitted that it is settled proposition of law that interest can be levied only from quantification of tax as held in 94 STC 422. It is further submitted that a D.B of the Rajasthan Tax Board in its recent judgment dated 14.5.2002 in the cases of M/s Grindwell Norton Limited Vs. CTO and M/s Raghuvar India Ltd. Vs. CTO Anti Evasion 2, H.Q. Jaipur have also taken the above view that unless tax is quantified interest cannot be levied.

36. माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 141 एस.टी.सी. 12 मैसर्स ई.आई.डी. पेरी (इण्डिया) लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर में निर्णीत किया गया है कि –

"the Constitution Bench in J.K. Synthetic Limited case (1994) 4 SCC 276 (1994) 94 STC 422 accepted the minority view and over ruled the majority view. The Constitution Bench held that tax was payable only as per the returns. It is held that if incomplete or incorrect returns are filed it was open to the assessing officer to provisionally assess and made a demand. It is held that if that was not done then interest could not be levied on the footing that in a final assessment it is found that the returns had been incorrect". Therefore, the default arising on non payment of tax on admitted liability in case of self assessment falls under section 28 of the RST Act which attracts automatic levy of interest whereas the default in filing incomplete

लगातार.....14

and incorrect return falls under section 29 of the RST Act which attracts best judgment assessment in which the levy of interest is based on adjudication by the assessing officer. Therefore, the question of levy of interest does not arise.

37. विद्वान अभिभाषक ने पुनः कर निर्धारण (Re-assessment) के सम्बन्ध में माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 48 वी.एस.टी. 107 का हवाला दिया गया, जिसमें निर्णीत किया गया है कि –


"Held according allowing the petition, that order of the C.T.O. clearly showed that there was no fresh material on the basis of which reassessment proven was pursued as the order clearly stated that on re-assessment of the records furnished by the dealer during the earlier occasion of audit up to Dec. 2007, and with reference to copier of agreements entered into with the lessee, the under declaration of output tax and misclassification of transaction under the provision of the 2005 Act, during the 2006-07, were discerned."

38. पुनः कर निर्धारण के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये गये हैं –

- (i) 38 टैक्स अपडेट 269 न्यायिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-ए, जोधपुर बनाम पृथ्वी सिंह
- (ii) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन नं० 73/11 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2013 सहायक आयुक्त, वक्त्स कॉन्फ्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स-ग, जयपुर बनाम ऐसर्स आर.एस.इलेविट्रकल्स, सवाईमाधोपुर

39. इसके साथ ही निम्न न्यायिक दृष्टान्तों का भी हवाला दिया गया है –

- (i) (2006) 143 एस.टी.सी. 17
- (ii) 18 टैक्स अपडेट 139
- (iii) 18 टैक्स अपडेट 143
- (iv) 37 टैक्स अपडेट 318
- (v) (2009) 23 वी.एस.टी. 251
- (vi) (2010) 322 आई.टी.आर. 158
- (vii) (2010) 322 आई.टी.आर. 167
- (viii) 32 टैक्स अपडेट 03
- (ix) 38 टैक्स अपडेट 269
- (x) 38 टैक्स अपडेट 276
- (xi) 25 एस.टी.सी. 491
- (xii) 25 एस.टी.सी. 251
- (xiii) (1977) 39 एस.टी.सी. 478

 लगातार.....15

- (xiv) 18 टैक्स अपडेट 143
- (xv) 37 टैक्स अपडेट 318
- (xvi) (2009) 23 वी.एस.टी. 251
- (xvii) (2009) 37 आई.टी.आर. 158

- (xiv) (1991) टैक्स वर्ल्ड 368
- (xv) 1986 आर.टी.सी. 14
- (xvi) 93 टैक्स वर्ल्ड 252
- (xvii) (2003) आर.टी.आर. 97
- (xviii) 139 एस.टी.सी. 245
- (xix) 38 वी.एस.टी. 388
- (xx) (2002) यू.पी.टी.सी. 69
- (xxi) 107 एस.टी.सी. 332

40. उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने दोनों निम्नतर प्राधिकारियों के आदेश अपार्स्ट करते हुए अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

41. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2005) 139 एस.टी.सी. 329 इण्डिया एजेंसीज (रजि.) बनाम अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर में निर्णीत किया है कि –

Para 25. ....in our view, it is a pure question of law as to the proper interpretation of the provisions of Section 8 of the Central Sales Tax Act and the provisions of Rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 and Rule 6(b)(ii) of the Central Sales Tax (Karnataka) Rules, 1957. In view of the decision of this Court in the case of Kedarnath Jute Manufacturing Co. [1965] 3 SCR 626 and of the decision in Delhi Automobiles (P) Ltd. [1997] 10 SCC 486, it is clear that these provisions have to be strictly construed and that unless there is strict compliance with the provisions of the statute, the assessee was not entitled to the concessional rate of tax.

42. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :–

8. The provisions of law involved in the present matter are as under:-

"8. Rates of tax on sales in the course of inter-State trade or commerce :-(1) Every dealer, who in the course of inter-State trade or commerce,-

(a) sells to the Government any goods; or  
 (b) sells to a registered dealer other than the Government goods of the description referred to in sub-section (3);  
 shall be liable to pay tax under this Act, with effect from such date as may be notified by the Central Government in the Official Gazette for the purpose which shall be two per cent, of his turnover or at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State under the sales tax law of that State, or as the case may be, under any enactment of that State imposing value added tax, whichever is lower:

लगातार.....16

Provided that the rate of tax payable under this sub-section by a dealer shall continue to be four per cent, of his turnover, until the rate of two per cent, takes effect under this sub-section.

**(2) The tax payable by any dealer on his turnover in so far as the turnover or any part thereof relates to the sale of goods in the course of inter-State trade or commerce not falling within sub-section (1) -**

(a) In the case of declared goods, shall be calculated at twice the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State;

(b) In the case of goods other than declared goods, shall be calculated at the rate of ten per cent or at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State, whichever is higher; and

**(4) The provisions of sub-section (1) shall not apply to any sale in the course of inter-State trade or commerce unless the dealer selling the goods furnishes to the prescribed authority in the prescribed manner -**

(a) a declaration duly filled and signed by the registered dealer to whom the goods are sold containing the prescribed particulars in a prescribed form obtained from the prescribed authority; or

(b) if the goods are sold to the Government, not being a registered dealer, a certificate in the prescribed form duly filled and signed by a duly authorized officer of the Government:

Provided that the declaration referred to in clause (a) is furnished within the prescribed time or within such further time as that authority may, for sufficient cause, permit

10. Rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 reads thus:

"12. (1) the declaration and the certificate referred to in sub-section 4 of section 8 shall be in Forms C and D respectively:

Provided that Form C in force before the commencement of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules 1974, or before the commencement of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules 1976, may also be used upto the 31st December 1979 with suitable modifications;

Provided further that a single declaration may cover all transactions of sale, which take place in one financial year between the same two dealers.

43. न्यायिक दृष्टान्त (1996) 101 एस.टी.सी. 547 प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णीत किया गया है कि

लगातार.....17

"One must first satisfy the condition in Section 8(4) to become eligible for the Commercial Rate in Section 8(1). It is only this after that he can claim the benefit of the said notification for which purpose again he has to satisfy the condition prescribed in the notification."

44. पुनः कर निर्धारण (Re-assessment) के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 24 वी.एस.टी. 452 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर बनाम भेटल्स एण्ड अलॉयज इण्डिया प्रा० लि० का हवाला दिया, जिसमें निर्णीत किया है कि –

"Held, allowing the petitions, (i) that since admittedly exemption could not be availed of by the assessee without furnishing C form as required under section 8(1) of the 1956 Act in respect of inter-State sales, reassessment for recovery of such exemption wrongly granted to the assessee in the original assessment, could not be questioned. It was nothing but escapement of turnover in the true sense and the enactment gave ample powers to the Revenue authority to reassess such cases. Therefore the assessing authority was justified in invoking the power under section 12 of the Act within limitation to reassess escaped turnover."

45. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2013) 65 वी.एस.टी. 227 Mazareth Foods (P) Ltd. & Ors vs. Assistant Commissioner का हवाला दिया गया, जिसमें निर्णीत किया गया है कि –

"For an escapement of assessment to arise, it is necessary that there should be an order of original assessment made. Unless and until an assessment order is made, the revision of assessment or proceedings on escapement of assessment will not arise."

46. इसी प्रकार माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2013) 64 वी.एस.टी. 440 (मद्रास) वेस्टर्न इण्डिया प्लाईवुड लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू का हवाला दिया गया –
- "Held, there was no justifiable ground to disturb the assessment in the absence of valid 'C' Form."

47. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त (1959) 35 आई.टी.आर., ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 257 महाराज कुमार बनाम आयकर आयुक्त का हवाला दिया गया –

"We see no justification for holding that cases of income escaping assessment must always be cases where income has not been assessed owing to inadvertence or oversight or owing to the fact that no return has been submitted. In our opinion, even in a case where a return has been submitted, if the I.T.O. erroneously fails to tax a part of assessable income, it is a case where the said part of the income has escaped assessment."

लगातार.....18

48. कर दर के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त (2011) 42 वी.एस.टी. 206 एवं (1992) 86 एस.टी.सी. 295 (गुजरात) प्रस्तुत किये हैं।

49. शास्ति के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त (2010) 35 वी.एस.टी. 255 प्रस्तुत किया है।

50. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया।

51. इस प्रकरण में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा दिनांक 28.07.2010 को रथगन आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 12419/2010 प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 28.03.2014 पारित करते हुए निम्न निर्देशों के साथ प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड को प्रतिप्रेषित किया गया है :—

"The issue of liability is under challenge before the Tax Board, thus I feel it appropriate to dispose of this writ petition with the direction to the Tax Board to expedite the hearing and decide the appeal within a period of two months from the date of receipt of copy of this order or the next date fixed in the appeal."

52. उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध तथ्यों, अभिलेख एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप निर्णय पारित किया जा रहा है।

53. प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह बिन्दु विवादित किया गया है कि अपीलार्थी का प्रकरण धारा 12 के तहत Escaped Assessment की श्रेणी में रहीं आता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त (2009) 24 वी.एस.टी. 452 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्-बी, उदयपुर बनाम गैसर्स मैटल्स एण्ड अलॉयज इण्डिया प्रा० लिमिटेड में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार व्यवहारी का प्रकरण Escaped Assessment की श्रेणी में आता है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी धारा 12 के तहत पुनः खोलते हुए पुनः कर निर्धारण करने हेतु सक्षम थे। अतः विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क अमान्य किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 12 के तहत पुनः कर निर्धारण अविधिक रूप से किया गया है।

लगातार.....19

54. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये विक्रय पर राज्य सरकार द्वारा धारा 8(5) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रियायती कर दर विहित की गई है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(1) में अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये विक्रय पर कर दर सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना में शर्तों की पालना किये जाने पर रियायती कर दर धारा 8(1) में पंजीकृत व्यवहारियों को किये गये विक्रय पर ही लागू होती है। क्रेता व्यवहारी सम्बन्धित राज्य में बिक्री कर अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में उसको किये गये विक्रय पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(2) में विहित कर दर लागू होती है। हस्तगत प्रकरण में जारी अधिसूचना में रियायती कर दर धारा 8(1) में किये गये विक्रय पर ही लागू होती है तथा धारा 8(1) की रियायती कर दर धारा 8(4) में विहित शर्तों की पालना किये जाने पर ही लागू होने योग्य है तथा यह शर्त घोषणा-पत्र 'सी', जो कि सम्बन्धित राज्य में पंजीकृत व्यवहारी द्वारा हस्ताक्षरित होने तथा सम्बन्धित क्रेता के सम्बन्धित राज्य के विहित प्राधिकारी से प्राप्त किया हुआ फॉर्म प्रस्तुत करने पर ही लागू होगी।

55. हस्तगत प्रकरण में तीनों क्रेता व्यवहारी क्रमशः मैसर्स हिना एन्टरप्राइजेज, बम्बई; मैसर्स श्री जी एन्टरप्राइजेज, बम्बई एवं मैसर्स अमित कुमार भगवान दास, अहमदाबाद द्वारा निम्न घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया है :—

(i) मैसर्स हिना एन्टरप्राइजेज, बम्बई — घोषणा-पत्र 'सी' संख्या — 056640, 056641, 056642, 056643, 056644, 056645, 056646, 056647, 056648, 056649, 056650, 056657 एवं 056658 जारीकर्ता प्राधिकारी—सेल्स टैक्स ऑफिसर, 'सी' वार्ड, यूनिट-बम्बई

(ii) मैसर्स श्री जी एन्टरप्राइजेज, बम्बई — घोषणा-पत्र 'सी' संख्या — 156219 जारीकर्ता प्राधिकारी—सेल्स टैक्स ऑफिसर, 'बी' वार्ड, यूनिट-I, बम्बई जो दिनांक 22 मार्च, 1991 को जारी किया गया है। घोषणा-पत्र 'सी' संख्या 823026, 823027, 823028, 823029 जारीकर्ता प्राधिकारी—सेल्स टैक्स ऑफिसर, के.पी.एण्ड आर. वार्ड, यूनिट-IV, बम्बई जो दिनांक 9 सितम्बर, 1991 को जारी किये गये हैं।

(iii) मैसर्स अमित कुमार भगवानदास, अहमदाबाद — घोषणा-पत्र 'सी' संख्या — 306897, 306898, 997156, 997157, 997164, 997165, 009674, 009675, एवं 29X-269076 से 29X-269175 जारीकर्ता प्राधिकारी—सेल्स टैक्स ऑफिसर—I, कार्यालय सहायक आयुक्त सेल्स टैक्स एन्फोर्समेंट, अहमदाबाद, कोड-281, जो दिनांक 24 सितम्बर, 1991 को जारी किये गये हैं।

लगातार.....20


56. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा-पत्रों को बोगस मानने के आधार निम्नानुसार दर्शाये गये हैं :—

(1) मैसर्स हीना एन्टरप्राइजेज बम्बई में फर्म का पंजीकरण 01.12.1991 से निरस्त कर दिये जाने, फर्म का व्यवसाय तेल का नहीं होकर चाय, कोको आदि वस्तुओं का होने तथा घोषणा-पत्र 'सी' बिक्री कर विभाग बम्बई से जारी नहीं होने के कारण बोगस बिक्री मानी है। घोषणा-पत्र बिक्री कर विभाग बम्बई से जारी नहीं होने का आधार एन्फोर्समेंट शाखा बम्बई के पत्र को बताया है।

(2) श्री जी एन्टरप्राइजेज बम्बई के बारे में उपायुक्त बिक्री कर धाना के पत्र को आधार बनाते हुए यह लिखा है कि बोगस व अपंजीकृत फर्म है।

(3) अमित कुमार भगवानदास अहमदाबाद के मामले में क्रेता द्वारा अहमदाबाद में प्रस्तुत घोषणा-पत्र 'सी' के लेखों में यह खरीद घोषित नहीं करने के आधार पर बिक्री को बोगस बताया है।

57. बिक्री को बोगस करार देने के कारण अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है। इस प्रकरण के सन्दर्भ विशेष में विशिष्ट जांच किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जोधपुर के प्रकरण में वहां के अधिकारी द्वारा जांच की जाने पर उस जांच रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर बिक्री को बोगस होना ठहराया गया है। क्रेता के द्वारा जारी किये गये 'सी' फॉर्म, जो कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, में घोषणा-पत्र 'सी' जारी करने वाले अधिकारी के कार्यालय का नाम व सील अंकित है। चूंकि रियायती कर दर वा लाभ धारा 8(4) की पालना में विहित प्राधिकारी से प्राप्त किये गये वैध घोषणा-पत्र 'सी' प्रस्तुत करने पर ही अनुज्ञेय है। अपीलार्थी द्वारा उक्त किये गये अन्तर्राज्यीय विक्रय कर का दायित्व विनिश्चयन के लिये प्रस्तुत घोषणा-पत्र 'सी' की वैधता निष्कर्षित किया जाना आवश्यक है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तीनों क्रेताओं के द्वारा जारी किये गये 'सी' फॉर्म में जारी करने वाले जिस अधिकारी का पता व सील अंकित है, उनसे कोई जांच करने का उल्लेख नहीं है। जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर घोषणा-पत्र 'सी' को अमान्य किया गया है, वह जांच रिपोर्ट प्रस्तुत घोषणा-पत्र 'सी' जारी करने वाले अधिकारी की जांच रिपोर्ट नहीं है। धारा 8(4) की पालना के क्रम में जिस अधिकारी के कार्यालय से घोषणा-पत्र 'सी' जारी किये जाने हेतु अधिकृत है, से जांच के अभाव में इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि प्रस्तुत किये गये 'सी' फॉर्म विहित प्राधिकारी के द्वारा जारी नहीं किया गया था।

 - लगातार.....21

अपीलार्थी श्री अमित कर निर्धारण अधिकारी

अपीलार्थी की वैधता विनिश्चयन करने के लिये

अपीलार्थी की वैधता विनिश्चयन करने के लिये

अपीलार्थी की वैधता विनिश्चयन करने के लिये

58. अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तीनों फर्मों को की गई बोगस बिक्री को छोड़कर शेष दर्शाई गई अन्तर्राज्यीय खाद्य तेल की बिक्री रूपये 1,02,14,392/- पर 'सी' फार्म पेश नहीं करने के कारण आरोपित किया गया अन्तर कर रूपये 8,68,223/- एवं ब्याज रूपये 9,37,681/- के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत वैध 'सी' फॉर्म्स पर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने एवं नियमानुसार आरोपित अन्तर कर व ब्याज कम कर दिये जाने सम्बन्धी अपीलीय अधिकारी के निर्देशों को बहाल रखा जाता है।

59. साथ ही अपीलीय अधिकारी द्वारा बोगस घोषणा-पत्र 'सी' के सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी आदेश को अपारत करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त विवादित कथित बोगस घोषणा-पत्र 'सी' के सम्बन्ध में बिक्री पर कर दायित्व निर्धारण करने हेतु विवादित घोषणा-पत्र 'सी' जारी करने वाले प्राधिकारी से इस बाबत जांच करें कि विवादित घोषणा-पत्र वैध हैं अथवा नहीं तथा उनके कार्यालय से नियमानुसार उक्त क्रेताओं को जारी किये गये हैं अथवा नहीं। अपीलार्थी इन प्रस्तुत घोषणा-पत्र 'सी' के समर्थन पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(1) में रियायती कर दर का पात्र है अथवा नहीं। तत्पश्चात प्रकरण में विधिसम्मत आदेश पारित करें।

60. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी  
(8/11/2011)

( मनोहर पुरी )  
सदस्य

( राकेश श्रीवारसन )  
अध्यक्ष